प्रगति एवं स्वावलम्बन की ओर अग्रसर

हिमाचल प्रदेश

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल का स्वतंत्रता दिवस पर आलेख

हम आज 64वॉं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी दिन 1947 की मध्यरात्रि भारतवर्ष विदेशी दासता से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था। इसके लिए लगभग एक शताब्दी तक संघर्ष का लम्बा रास्ता तय करना पड़ा था। यह दिन, जहॉं हम सबके लिए उल्लास एवं खुशियॉं मनाने का है, वहीं उन सब स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, जिन्होंने इसकी प्राप्ति के लिए किसी भी बलिदान एवं त्याग को बड़ा नहीं समझा, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने का भी है। यह दिन हम सबके लिए उस ऐतिहासिक क्षण को मनाने का भी है, जब देश के भाग्य का नियति के साथ मिलन हुआ था। साथ ही इस बात के आत्मविवेचन करने का भी अवसर देता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इन वर्षों में हमने कहां से अपना सफर शुरू किया था और हम कहॉं पहुॅंचे हैं। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है और आज भारतवर्ष एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आया है। आज इसकी गिनती विकसित देशों में होने लगी है। विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य कई क्षेत्रों में, जहां देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वही एक चिन्ता का विषय यह भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी, कुछ विघटनकारी ताकतें, समाज विरोधी तत्व, अपने निहित स्वार्थों के लिए देश की एकता एवं अखंडता को कमज़ोर करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लम्बे संघर्ष से प्राप्त स्वतंत्रता और देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। उनके नापाक इरादों को परास्त करना, हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत वर्ष में भिन्न–भिन्न धर्मों, जातियों एवं समुदाय के लोग रहते हैं। अनेकता में एकता हमारी शक्ति है और पहचान भी, इसे बनाए रखना हम सबका कर्त्तव्य है।

गरीब लोगों की आवास की समस्या को हल करने के लिए, गत दो वर्षों में 21733 आवास, 'अटल आवास योजना' और 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। इस वर्ष इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 9790 आवास निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता को भी हमारी सरकार ने 28,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया है।

हिमाचल प्रदेश के लोग देश के लोगों के साथ, स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, 1947 तक, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार बने रहे। धामी गोली कांड तथा कसौली में हुए सैन्य विद्रोह से, राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ। प्रजामंडल आन्दोलनों के माध्यम से भी यहॉं के लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आन्दोलन के राष्ट्रीय नेता, महात्मा गांधी, जवाहर लाल, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फर खान, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, समय–समय पर शिमला में आकर इसकी रूपरेखा तैयार की। शिमला के कई ऐतिहासिक भवन जहॉं पर इन नेताओं ने विचार मंथन किया, आज भी स्वाधीनता आन्दोलन के जीते जागते स्मारक हैं।

स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद हुए युद्धों एवं ऑपरेशन में भी हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आज यह प्रदेश देवभूमि के साथ–साथ वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वीरता के लिए देश में दिये गये प्रथम वीर चक्र को प्राप्त करने वाले, मेजर सोमनाथ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला से संबंध रखते थे। कारगिल ऑपरेशन के दौरान दिए गए चार परमवीर चक्रों में, दो हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों को मिले थे। इस ऑपरेशन के दौरान प्रदेश के कई और बहादुर जवानों को वीर चक्र एवं अन्य गैलंटरी अवार्ड प्रदान किए गए। इस ऑपरेशन में प्रदेश के 52 वीर सपूत, दुश्मनों से लोहा लेते–लेते वीरगति को प्राप्त हुए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सब प्रदेशवासी उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के स्वतंत्र होने के आठ महीने बाद, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। प्रदेश में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम शुरू हुए। यह प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश आज पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में अग्रणी ही नहीं, बल्कि अन्य बड़े राज्यों में भी विकास का आदर्श माना जाता है। विकास के सूचकांक इसके साक्षी हैं। प्रति व्यक्ति आय जो 1948 में मात्र 248 रुपये थी आज बढ़कर 49211 रुपये हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद भी 27 करोड़ रुपये बढ़कर 4227 करोड़ रुपये हो गया है। साक्षरता दर जो 1948 में 8 प्रतिशत थी, 2001 की जनगणना के अनुसार 76.5 थी और अब यह 85 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। सेब राज्य की ख्याति प्राप्त कर, हिमाचल प्रदेश देश का फल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यही नहीं, यह देश का ऊर्जा राज्य बनने की दहलीज़ पर भी खड़ा है। अनेक प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा राज्यों की कारगुजारी पर किए गए सर्वेक्षणों में, विकास के अनेक मानकों में भी हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर पाया गया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2009–10 में हिमाचल प्रदेश, बीस सूत्रीय कार्यकम, जो गरीबी उन्मूलन का मुख्य कार्यक्रम है, के कार्यान्वयन में, देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जो प्रदेश सरकार की आम आदमी विशेषकर गरीब एवं कमज़ोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार ने 30 दिसम्बर, 2007 को सत्ता की बागडोर सम्भालने के बाद प्रदेश में विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। स्वरोज़गार, स्वावलंबन एवं स्वाभिमान के ध्येय को अपनाकर, प्रदेश में विकास की गति तेज़ की गई है। हिमाचल प्रदेश देश का एक आर्दश राज्य बने, लोगों को रोज़गार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, प्रदेश स्वावलम्बी हो और लोग स्वाभिमान से अपना जीवन–यापन कर सके, हम इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं रह जाते इसलिए प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना नितांत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनमें 70 प्रतिशत से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके दृष्टिगत हमारी सरकार ने कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों, जैसे बागबानी एवं पशुपालन को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी है। कुल योजना परिव्यय का 12 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से भी इसके लिए धन का प्रबंध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि पैदावार में विविधिकरण लाकर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भी सरकार ने प्राथमिकताएं निर्धारित की है जिनमें उच्च मूल्यों की नकदी फसलों को बढ़ावा, जैव खेती को बढ़ावा, फसलों की बिक्री का बेहतर प्रबंधन तथा फसलों का बीमा इत्यादि प्रमुख है। कृषि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से, जनवरी, 2009 से, 353 करोड़ रुपये लागत की, पंडित दीन दयाल किसान–बागबान समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत 15 लाख वर्ग मीटर में 16500 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा और

20 हजार हेक्टेयर पर सुक्ष्म सिंचाई सुनिश्चित कर, कृषि पैदावार में विविधीकरण के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पॉलीहाऊस के निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। बी.पी.एल. परिवारों को बांस से बनने वाले पॉलीहाऊस के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार भी सुनिश्चित होगा।

प्रदेश की अपनी जैविक खेती नीति भी बनाई जा रही है और सभी किसानों की अपनी वर्मी खाद इकाई हो, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। कृषि विविधीकरण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से 442 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को प्रदेश सरकार के आग्रह पर, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया है।

प्रदेश सरकार अधिकाधिक क्षेत्र को सिंचाई के अतंर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। अगले पांच वर्षों में सिंचाई के अंतर्गत वर्तमान से, दुगुना क्षेत्र लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने सिंचाई स्रोतों के संवर्द्धन एवं 'वाटर हार्वेस्टिंग' के लिए एक योजना तैयार की है। प्रदेश में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। गत दो वर्षों में 14277 हेक्टेयर क्षेत्र में बड़ी, मध्यम एवं माइक्रो सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मंडी ज़िला में बल्ह घाटी, बिलासपुर ज़िला में चंगर सिंचाई योजना, कांगड़ा जिला में सिद्धाता, इन तीन मध्यम सिंचाई योजनाओं पर तीव्र गति से काम चल रहा है। कांगड़ा ज़िला में ही शाह नहर, बड़ी सिंचाई योजना पर कार्य तेज़ गति से चल रहा है और शीघ्र ही कार्य पूरा हो जाएगा। प्रदेश में किसान कार्ड का वितरण भी किया गया है। बैंकों द्वारा विशेष अभियान चलाकर, प्रदेश में 3,16,563 किसान क्रेडिट कार्ड, पात्र किसानों को वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 1950–1960 के बीच छोटे एवं मध्यम किसानों द्वारा लिए गए तकावी ऋण और भूमि विकास ऋण माफ कर 43,583 छोटे एवं मध्यम किसानों को बड़ी राहत दी है।

हिमाचल प्रदेश ने बागबानी विकास में भी अपनी एक पहचान बनाई है। बागबानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, प्रदेश सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत, सेब, आम और नींबू प्रजाति फलों को समर्थन मूल्य दे रही है। बे–मौसमी सब्जियों एवं फूलों की पैदावार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सेब, चैरी, बादाम और पलम की पुरानी पौध को बदलने के लिए रूट स्टाक का आयात किया गया है। सेब की पुरानी पौध को बदलने के लिए, 85 करोड़ रुपये की सेब नवीकरण योजना शीघ्र आरम्भ की जा रही है, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में सेब के सभी पुराने पौधों की जगह नए पौधे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारॅपोरेशन (एच.पी.एम.सी) ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के साथ सेब रस कन्संट्रेट की बिक्री एवं क्रय पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में, पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। गत वर्ष 300 करोड़ रुपये लागत की 'दूध गंगा योजना' आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत 10 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50 हजार परिवारों को दूध संबंधित गतिविधियां आरंभ करने के लिए, सस्ती दरों पर ऋण दिए जा रहे हैं। कई स्वयं सहायता समूहों ने, इस योजना का लाभ उठाकर दूध उत्पादन गतिविधियॉं आरम्भ भी कर दी है। इस वर्ष से 'मुख्य मंत्री पशु आरोग्य योजना' आरंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में हर पंचायत में एक पशु चिकित्सा संस्थान सुनिश्चित करना है। इस योजना से प्रदेश की 1150 पंचायतें लाभान्वित होंगी। किसानों को विभिन्न सूचनाएं देने के लिए हाल ही में एग्रीनेट पोर्टल स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को कृषि, बागबानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध होंगी।

प्रजातंत्र की मूलभूत इकाइयों, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तेज़ करना है। ग्राम पंचायतों के उप–प्रधान के प्रत्यक्ष चुनाव करवाने का हमने निर्णय लिया है। पंचायती राज संस्थाओं के, पदाधिकारियों के मानदेय में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। पंचायत घरों के निर्माण के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख 40 हजार प्रति पंचायत घर किया है। पंचायत घरों की मरम्मत के लिए भी एक लाख रुपये प्रति पंचायत घर, वित्तीय सहायता दी जा रही है। गत वर्ष पंचायत घरों के निर्माण के लिए 10.20 करोड़ रुपये एवं मरम्मत के लिए 6.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सभी 3243 पंचायतों, 75 पंचायत समितियों एंव 12 ज़िला परिषदों के कार्यालयों का कम्प्यूट्रीकरण किया जा रहा है। सभी कार्य दिवसों में, पंचायत कार्यालय को 10 से 5 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को पंचायत से रिकार्ड आदि लेने में कोई कठिनाई न हो।

कृषि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से, जनवरी, 2009 से, 353 करोड़ रुपये लागत की, पंडित दीन दयाल किसान–बागबान समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत 15 लाख वर्ग मीटर में 16500 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा और 20 हजार हेक्टेयर पर सूक्ष्म सिंचाई सुनिश्चित कर, कृषि पैदावार में विविधीकरण के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार 'मनरेगा' का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बना रही है। 9,94,909 ग्रामीण परिवारों को 'जॉब कार्ड' वितरित कर, 82 प्रतिशत परिवारों को यह कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

गत दो वर्षों में, इस योजना के अंतर्गत 9 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया करवाया गया है और पांच करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। 5529 स्वयं सहायता समूहों को, 64 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि स्वरोजगार गतिविधियॉं शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का भी प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया गया है। 3243 ग्राम पंचायतों में से, 2754 को खुले में शौच मुक्त बना लिया गया है और बाकी पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने की प्रक्रिया जारी है। स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। गरीब लोगों की आवास की समस्या को हल करने के लिए, गत दो वर्षों में 21733 आवास, 'अटल आवास योजना' और 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। इस वर्ष इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 9790 आवास निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता को भी हमारी सरकार ने 28,500 रुपये से बढ़ाकर 48,500 रुपये किया है। सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन तीनों का संबंध आम आदमी से है और आम आदमी की बेहतरी ही सरकार का लक्ष्य है।

हमने, वर्ष 2012 तक, 250 और उससे अधिक आबादी वाले सभी गॉंवों को सड़क सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। इस समय प्रदेश में 30,444 किलोमीटर के लगभग सड़कें बनी हैं, जिनमें से 2768 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, गत दो वर्षों में हुआ है। 133 पुलों का निर्माण भी किया गया है। हमारी सरकार ने हाल ही में, प्रदेश के लिए 494.8 किलोमीटर लम्बाई के 5 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत करवाए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की संख्या 11 से बढ़कर 16 हो गई है। हमारी सरकार के पिछले शासनकाल यानी वर्ष 1998 और 2002 के बीच भी, प्रदेश के लिए चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए थे। गत वर्ष, यानी 2008 में भी 252 किलोमीटर लम्बाई के दो राष्ट्रीय मार्ग प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए हैं। प्रदेश में 16 राष्ट्रीय उच्च मार्गों में से 11 हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही स्वीकृत हुए हैं।

हमारी सरकार लोगों को घर–द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश के कई स्वास्थ्य मानक राष्ट्रीय मानक, से कहीं बेहतर है।

प्रदेश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2.36 बी.पी.एल. परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 2.98 लाख बी.पी.एल. परिवार है, इस प्रकार हमारी उपलब्धि 82 प्रतिशत से भी अधिक है। इस योजना के अंतर्गत इलाज करवाने के लिए 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। गम्भीर बीमारी की अवस्था में प्रदेश सरकार, 1.75 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आगामी 2 अक्तूबर से गांधी जयंती के अवसर पर, प्रदेश में 'अटल स्वास्थ्य योजना' आरम्भ की जा रही है। इसके अंतर्गत बीमार लोगों को मुफ्त एम्बूलैंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश में 'बेटी है अनमोल' योजना भी आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत महिला शिशु के पैदा होने पर उसके नाम 5000 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करवाए जा रहे हैं, जो वह 18 साल की उम्र होने पर ब्याज सहित ले सकती है। यह राशि दो शिशु महिला बच्चे तक देय है।

प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में पॉंच मेडिकल कालेज खोलने की योजना है, जिनमें से सोलन एवं मंडी में दो पर कार्य आरम्भ हो गया है। आई.जी.एम.सी. मेडिकल कॉलेज शिमला में एम.बी.बी.एस. की सीटें 65 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है और पी.जी. की 38 से 62, मेडिकल कॉलेज टांडा में भी पी.जी. की 21 सीटें स्वीकृत की गई है। आई.जी.एम.सी. शिमला में स्थापित नर्सिंग कॉलेज को स्तरोन्नत किया गया है और इसमें बी.एस.सी. नर्सिंग एवं एम.एस.सी. नर्सिंग की कक्षाएं आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है।

स्वरोजगार, स्वावलम्बन और स्वाभिमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। जब इस क्षमता का पूरा दोहन हो जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमाचल प्रदेश देश का समृद्धतम राज्य होगा।

गत दो वर्षों में 400 एलोपैथिक डाक्टर और कई विशेषज्ञ प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं ताकि लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए घरों से दूर न जाना पड़े। उन डाक्टरों को जो प्रदेश के कठिन एवं दूर–दराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आये, वेतन के अतिरिक्त, 3000 रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक का इन्सेंटिव दिया जा रहा है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। 200 आयुर्वेदिक डाक्टरों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनको भरने की प्रक्रिया जारी है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पी.जी. की सीटे 24 से बढ़ाकर 39 की गई है। जोगिन्द्रनगर (मण्डी) में बी. फार्मा (आयुर्वेद) कोर्स शुरू किया जा रहा है और पपरोला में बी.एस.सी. नर्सिंग (आयुर्वेद) शुरू की जा रही है। सोलन जिला में कण्डाघाट के समीप पतंजलि योगपीठ की शाखा स्थापित की जा रही है, जिससे प्रदेश में औषधीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा सरकार की तीन प्रमुख प्राथमिकताओं में एक है। हम हिमाचल प्रदेश को देश का 'शिक्षा हब' बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहॉं पर प्रदूषण मुक्त वातावरण के दृष्टिगत कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अपार सम्भावनाएं हैं।

हम प्रदेश में स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। 16 विश्वविद्यालयों को प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें से आधे स्थापित हो चुके हैं। हमीरपुर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय, सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कांगड़ा जिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सोलन जिला के बद्दी क्षेत्र कालूझंडा में अटल शिक्षा कुंज स्थापित किया गया है, जहॉं पर स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जा रहे है। कांगड़ा जिला के छेब में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है और हमीरपुर में होटल प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान खोला गया है। हिमाचल प्रदेश रैगिंग विरोधी कानून को बनाने वाला देश का पहला राज्य है और शिक्षण संस्थानों में रैगिंग विरोधी समितियां स्थापित की गई है। प्रदेश में शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना सशक्त की जा रही है। गत दो वर्षों में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 18 हजार पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 10 हजार से अधिक पद भरे जा चुके हैं। सभी शिक्षण संस्थानों का चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूट्रीकरण किया जा रहा है। स्वरोजगार, स्वावलम्बन और स्वाभिमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। जब इस क्षमता का पूरा दोहन हो जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमाचल प्रदेश देश का समृद्धतम राज्य होगा। प्रदेश में 23,230 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का चिन्हांकन किया गया है। सरकार निजी, संयुक्त एवं सरकारी क्षेत्र को संबद्ध कर इस क्षमता के दोहन के लिए प्रयत्नशील है। इसमें से अभी तक 6460 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पाया है। राज्य क्षेत्र में 1125 मेगावाट क्षमता की 13 विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 2800 मेगावाट क्षमता की पांच विद्युत परियोजनाएं केन्द्र एवं संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5986 मेगावाट बिजली निजी क्षेत्र में पैदा की जाएगी। (पृष्ठ 8 पर जारी)

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार ने 30 दिसम्बर, 2007 को सत्ता की बागडोर सम्भालने के बाद प्रदेश में विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। स्वरोज़गार, स्वावलंबन एवं स्वाभिमान के ध्येय को अपनाकर, प्रदेश में विकास की गति तेज़ की गई है। हिमाचल प्रदेश देश का एक आदर्श राज्य बने, लोगों को रोज़गार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, प्रदेश स्वावलम्बी हो और लोग स्वाभिमान से अपना जीवन-यापन कर सके, हम इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए 300 करोड़ रुपये लागत की 'दूध गंगा योजना' आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत 10 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50 हजार परिवारों को दूध संबंधित गतिविधियॉं आरंभ करने के लिए, सस्ती दरों पर ऋण दिए जा रहे हैं।